न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई०ए०एस)

प्रकरण संख्या 09/2018

बउनवान

1. प्रहलाद पुत्र केसरीलाल जाति धाकड़ निवासी रानीहेड़ा
2. बद्रीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी रानीहेड़ा
3. घासीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी बोरेड़ी
4. धन्नीबाई पुत्री धूल्या जाति राठी निवासी रानीहेड़ा
5. आनन्दीबाई पुत्री धूल्या जाति राठी निवासी रानीहेड़ा
6. गोरधनीबाई पुत्री धूल्या जाति राठी निवासी रानीहेड़ा तह0 बारां जिला बारां (राज.)

(अपीलांट्स)

बनाम

1. चेतराम पुत्र मोतीलाल जाति कोली निवासी बड़ां
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र मोतीलाल जाति कोली निवासी बड़ां
3. ओमप्रकाश पुत्र मोतीलाल जाति कोली निवासी बड़ां
4. बालीबाई पुत्री मोतीलाल जाति कोली निवासी बड़ां
5. निर्मलाबाई पुत्री मोतीलाल जाति कोली निवासी बड़ां तह0 बारां जिला बारां
6. चौथमल पुत्र शिवनारायण जाति धाकड़ निवासी रानीहेड़ा
7. राजेन्द्र पुत्र भूरालाल जाति धाकड़ निवासी रानीहेड़ा
8. रामगोपाल पुत्र बद्रीलाल जाति मीना निवासी रानीहेड़ा तह0 बारां जिला बारां
9. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट्स)**

अपील विरूद्ध आदेश/निर्णय दिनांक 20.01.2017 न्यायालय तहसीलदार बारां बउनवान मुकदमा चेतराम वगैरह बनाम चौथमल वगैरह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर0टी0ए0 प्रा0 पत्र संख्या 05/2015

उपस्थिति :– 1. श्री जितेन्द्र नागर अभिभाषक **(अपीलांट्स)**
2. श्री योगेश गुर्जर अभिभाषक **(रेस्पोडेंट्स क्रम 1 ता 5)**
3. श्री पिंकेश जगरवाल अभिभाषक **(रेस्पोडेन्ट् क्रम 7)**

निर्णय दिनांक 21.04.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:43:54 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांटगण द्वारा [illegible] आदेश/निर्णय दिनांक 20.01.2017 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्ध रेस्पोंडेंट्स अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. क्रम 1 ता 5 द्वारा अपीलांट्स एवं रेस्पो. क्रम 6 ता 8 के विरूद्ध प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.ए. में अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए अतिक्रमित भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर प्रार्थीगण को कब्जा दिलाने के आदेश पारित किये। साथ ही अतिक्रमित भूमि पर कब्जा किये जाने के दण्ड स्परूप सालाना लगान का 50 गुना जुर्माना

अप्रार्थीगण पर आरोपित किया गया। अपीलांट्स ने रेस्पोडेन्ट्स की किसी भूमि पर कब्जा नहीं किया है। अपीलांट्स मौके पर अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर काबिज काश्त हैं। रानीहेड़ा के माल में जाने का रास्ता बोरेड़ी होता हुआ बड़ां जाता है, रेस्पो0 का आराजी खसरा नंबर 2116 पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। ग्रामवासियान व अपीलांट्स उक्त विवादित आराजी का उपयोग उपभोग रास्ते के रूप में ग्राम बोरेड़ी जाने व खेतों पर जाने में करते हैं। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। रेस्पो0 क्रम 1 ता 5 को खसरा नंबर 2116 की खातेदारी के आधार पर उक्त आराजी सुपुर्द कर दी जाती है तो ग्रामवासियान को खेतों पर जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तथा उनकी जमीनें पड़त रह जायेंगी, क्योंकि अपीलांट्स एवं अन्य ग्राम वासियान के खेतों पर आने जाने का एकमात्र रास्ता यही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन उक्त आदेश निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 5 एवं रेस्पोडेंट कम 7 जर्ये अभिभाषक उपस्थित है। रेस्पो. कम 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित रहे। इस पर हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर अपील का परीक्षण किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाती है।

दौरान बहस अभिभाषक रेस्पो. कम 1 ता 5 ने अपील मे अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स ने रेस्पो. कम 1 ता 5 के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसना नंबर 2116 रकबा 1.28 है. वाके ग्राम बड़ां को गलत रूप से रास्ता बताकर उक्त अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. कम 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.ए. को विधिसंगत कार्यवाही कर उक्त आदेश पारित किया है जो पूर्ण रूप से वैध है। अतः अपीलांटस की अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:43:54 IST
Reason: SelfAttested

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक रेस्पो. कम 1 ता 5 पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.01.2017 में विवादित आराजी खसरा नंबर 2116 रकबा 0.48 है. पर प्रहलाद पुत्र केसरीलाल कौम धाकड़ सा0 रानीहेड़ा व खसरा नंबर 2116 रकबा 0.40 है. पर रामगोपाल पुत्र बद्रीलाल कौम मीना नि0 रानीहेड़ा का नाजायज कब्जा काश्त होना बताया तथा खसरा नंबर 2116 का शेष रकबा प्रार्थीगण/रेस्पो0 कम 1 ता 5 के कब्जे में होना बताया गया है तथा अतिक्रमित भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर प्रार्थीगण को कब्जा देने के आदेश पारित किये गये।

कि उक्त विवादित भूमि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट के खातेदारी की होना तथा इस आराजी पर अप्रार्थीगण/अपीलांट का कब्जा काश्त होना प्रमाणित था। इस प्रकार उक्त निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अपीलांट्स ने ग्राम बड़ां की आराजी खसरा नंबर 2116 का उपयोग उपभोग रास्ते के रूप में करने के आधार पर उक्त निर्णय निरस्त करवाना चाहा है परन्तु यदि उक्त भूमि का उपयोग कदीमी रास्ते के रूप में किया जा रहा है तो अपीलांटगण धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत रेस्पोडेंट्स के खिलाफ सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट्स निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:43:54 IST
Reason: SelfAttested